इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 481]   भोपाल, मंगलवार, दिनांक 15 अक्टूबर 2013—आश्विन 23, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर 2013

क्र. एफ-24-14-2013-एक-10.—यत:, राज्य सरकार की यह राय है कि, की जाने वाली जांच की प्रकृति तथा मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का सं. 60) की धारा 5 की उपधारा (2), (4) तथा (5) के समस्त उपबंधों को इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15 अक्टूबर 2013 के अधीन नियुक्त आयोग को लागू किए जाने चाहिए.

अतएव, उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निदेश देती है कि उक्त धारा की उपधारा (2), (4) तथा (5) के समस्त उपबंध उक्त आयोग को लागू होंगे.

No. F-24-14-2013-I-10.—WHEREAS, the State Government is of the opinion that, having regard to the nature of inquiry to be made and other circumstances of the case, all the provisions of sub-sections (2), (4) and (5) of Section 5 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (No. 60 of 1952) should be made applicable to the commission appointed under this Department's Notification of even number dated 15th October 2013.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the said Section, the State Government hereby directs that all the provisions of sub-sections (2) , (4) and (5) of the said Section shall apply to the said Commission.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुरेश, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.